कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0–एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/14433/1870 दिनांकः– 05.09.14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, बड़हिया के वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 582/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

05/9/14
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

(105)

नगर पंचायत, बड़हिया
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.- 582/13-14
अवधि- 2010-11 से 2012-13 तक

भाग- 1

1. **प्रस्तावना**

नगर पंचायत के वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) सामाजिक प्रकोष्ठ-1, बिहार, पटना के एक लेखापरीक्षा दल दारा दिनांक 03.06.2013 से 08.06.2013 की अवधि में किया गया।

2. **प्रशासन**

अध्यक्ष

(1) श्रीमती बसन्ती देवी 01.04.2010 से 31.03.2013

उपाध्यक्ष

(1) श्री चुनचुन सिंह 01.04.2010 से 09.06.2012

(2) श्री प्रमोद कुमार 09.06.2012 से 31.03.2013

कार्यपालक पदाधिकारी

(1) श्रीमती कामीनी देवी 01.04.2010 से 05.09.2010

(2) श्री देवेन्द्र कुमार 05.09.2010 से 31.03.2013

3. **अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र**

अंकेक्षण के नमुना जाँच किए गए पंजियों को परिशिष्ट- 1(अ) में तथा अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया या अधूरा संधारित किया गया, को परिशिष्ट- 1(ब) में दर्शाया गया है।

4. **पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

बड़हिया, नगर पंचायत द्वारा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं उनका अनुपालन वर्तमान लेखा परीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके फलस्वरुप लंबित कंडिकाओं का निस्तारण नहीं हो सका। पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति निम्न प्रकार है-

क0 सं0	अकेक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अवधि	बकाया कंडिका	निस्तारित कंडिका	बकाया कंडिका
1.	11/82-83	1979-80 से 1980-81	1	-	1
2	89/89-90	1986-87 से 1987-88	2	-	2
3	58/95-96	1988-89 से 1994-95	48	-	48
4	24/2001-02	1995-96 से 2000-01	33	-	33
5	142/2008-09	2001-02 से 25006-07	43	-	43
6	205/11-12	2007-08 से 2009-10	26		26

नगर पंचायत के पदाधिकारी से अनुरोध है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अविलंब कार्रवाई की जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर निष्पादन हेतु स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना, कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

5. आंतरिक अंकेक्षण

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखा परीक्षा का स्पष्ट प्रावधान है तथा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 नियम 20, 64 एवं 73(क) इत्यादि में भी यह उपबंधित है कि आंतरिक जाँच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी, जिन्हे जाँच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने हेतु की जाती है।
नगर पंचायत, बड़हिया के अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि इस तरह की जाँच व्यवस्था नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया जिसके कारण अनेकों त्रुटियॉ हुई तथा अंकेक्षण के दौरान दृष्टिगत हुई, उनका उल्लेख प्रतिवेदन की आगे की कंडिकाओं में किया गया है।

6. अधिदृश्य (लेखापाल रोकड़ बही)

नगर पंचायत, बड़हिया मुख्यत: सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान एवं निजी क्षेत्रों से प्राप्त आय द्वारा वित्त संपोषित थी। अंकेक्षण वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक की प्राप्ति एवं भुगतान का सार निम्नलिखित है-

		2010-11	2011-12	2012-13
1	प्रा० शेष	6162375.23*	4700105.23	16553068.23
2	वर्ष की प्राप्ति	1648618.00	16566690.00	25263304.00
3	कुल प्राप्ति (1+2)	7810993.23	21266795.23	41816372.23
4	भुगतान	3110888.00	4713727.00	22429750.00
5	संवरण शेष(3-4)	4700105.23	16553068.23	19386622.23

* पूर्ववती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 205/2011-12 के कंडिका 6(अधिदृश्य) में अंतशेष 31.03.2010 को रु 6162375.23 था जिसे इस अंकेक्षण में प्रारंभिक शेष के रुप में लिया गया है। परन्तु रोकड़ बही के अनुसार 2009-10 का संवरण शेष/2010-11 का प्रारंभिक शेष रु 6146317.28 था।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) रोकड़ बही में प्राप्ति एवं भुगतान का शीर्ष एवं पूर्व विवरणी दर्ज नहीं पाया गया अत: शीर्षवार प्राप्ति एवं भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(ii) पुर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 205/11-12 में रोकड.बही 31.03.2010 का संवरण शेष रु 6146317.28 था। जबकि लेखा परीक्षा में यह रु 6162375.23 पाया गया था। रोकड. बही में पाई गयी त्रुटि को दूर कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(iii) **संवरण शेष**

(क) रोकड़ बही के अनुसार 31.03.13 का संवरण शेष –19386622.00

(ख)(i) बैंक खाता सं0 1153572033 S.B.I बड़हिया –4502906.89 का 31.03.13 को अंतशेष

(ii) कोषागार पासबुक के अनुसार 31.03.13 को अंतशेष– कोषागार पासबुक अनुपलब्ध कोषागार पासबुक अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया कोषागार पासबुक उपलब्ध नहीं होने के कारण 31.03.2013 को बैंक एवं कोषागार में कुल कितनी राशि उपलब्ध है सुनिश्चित नहीं किया जा सका। कोषागार पासबुक उपलब्ध करवाकर बैंक संमाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

7. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि हेतु संधारित रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2010–11 से 2012–13 की वित्तीय स्थिति निम्नवत पाई गई–

		2010–11	2011–12	2012–13
1	प्रारंभिक शेष	10451738.00	15188000.00	14409947.58
2	अनुदान	4397590.00	8213061.00	4273040.00
3	ब्याज	338672.00	628398.00	541102.00
4	वर्ष की प्राप्ति (2+3)	4376262.00	8841459.00	4814142.00
5	कुल प्राप्ति	15188000.00	24029459.00	19224089.58
6	व्यय(योजना)	0	9619199.42	7137568.07
7	बैंक कमीशन	0	312.00	0
8	कुल व्यय(6+7)	0	9619511.42	7137568.07
9	संवरण शेष	15188000.00	14409947.58	12086521.51

बैंक पासबुक (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया) खाता सं0–3018838827 के अनुसार अंतशेष 31.03.13 को रु 12310203.58 था।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) बैंक पासबुक एवं रोकड़ बही के संवरण शेष का अन्तर रु 223682.07 था, इस अंतर का समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था। समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ii) 31.05.2011 से पूर्व का बैंक पासबुक उपलब्ध नहीं कराया गया। अत: उक्त अवधि की प्राप्ति एवं भुगतान का मिलान रोकड़ बही से नहीं किया जा सका।

भाग–II(क)

8. रोकड़पाल द्वारा राशि का जमा न किया जाना रु 4.54 लाख

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 में उपबंधित नियम के अनुसार वसुलीकर्त्ता/रोकड़पाल द्वारा नगर पंचायत निधि मद के अंतर्गत प्राप्त सभी राशि को एकमुश्त अविलंब बिना हाथ में रखे संबंधित निधि में जमा कर देना है।

102

साथ ही, लेखापाल/कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इस कार्य हेतु प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा समय- समय पर यह भी जॉच की जानी है कि नगर पंचायत निधि मद हेतु वसुली गई सभी राशि कर संग्राहक द्वारा अविलंब रोकड़पाल के पास जमा की गई है तथा रोकड़पाल के द्वारा स्वंय वसुली गई राशि तथा विभिन्न कर संग्रहकर्त्ताओं से प्राप्त राशि को अविलंब, बिना हाथ में रखे नगर पंचायत निधि में जमां की जानी है।

नगर पंचायत, बड़हिया के वसुली लेखा के जॉच के दौरान यह पाया गया कि किसी भी अधिकारी (लेखापाल/कार्यपालक अधिकारी) आदि द्वारा वसुली लेखा की जॉच/पर्यवेक्षण नहीं की गई, जिसके कारण प्राप्ति लेखा में काफी गंभीर अनियमितताएं पाई गई।

(i) रोकड़बही का अनियमित संधारण- रोकड़पाल द्वारा रोकड़बही का संधारण सही ढंग से नहीं किया गया न तो प्राप्त तिथि के अनुसार वसुली राशि का रोकड़बही में इदराज किया गया न ही क्रमवार/तिथिवार वसूली गई राशि जमा की गई। बाद कि तिथि की राशि को पहले तथा पहले की राशि को बाद में जमा की गई। रोकड़ बही मे प्राप्ति की तिथि भी अधिकांश जगह दर्ज नहीं की गई। वसुली गई राशि को ससमय भी जमा नहीं किया गया।

(ii) रोकड़पाल द्वारा वसूली राशि का अपने पास रखना (रु 176867)- रोकड़पाल द्वारा वसूली गई राशि को एकमुश्त जमा न कर आंशिक राशि जमा किया जाता था तथा शेष राशि को रोकड़पाल अपने हाथ में रखे रहता था।

रोकड़पाल द्वारा विभिन्न वसुलीकर्त्ताओं द्वारा प्राप्त राशि नगर पंचायत निधि में जमा तथा उनके द्वारा हाथ में रखी गई राशि से संबद्ध विवरणी परिशिष्ट- II(A) में दर्शाया गया है। उक्त विवरणी से स्पष्ट है कि रोकड़पाल द्वारा दिनांक-31.03.13 तक की वसुली गई राशि में से कुल रु 176867 नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया तथा अपने पास रखे रहा जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

(iii) रोकड़पाल के द्वारा स्वयं विविध रसीद द्वारा वसुली गई राशि का दुर्विनियोजन (0.98 लाख)- रोकड़पाल द्वारा स्वयं विविध रसीद के माध्यम से 13.06.10 से 05.04.13 तक विभिन्न मदों में कुल रु 97680 वसुल किया गया परंतु उपरोक्त वसुली गई संपूर्ण राशि को न तो रोकड़पाल रोकड़बही में दर्ज किया गया न ही नगर पंचायत निधि में जमा किया गया। संपूर्ण राशि 97680 अपने पास रखे रहा जो गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं गबन का मामला है।

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- II(B) पर

(IV) रोकड़पाल द्वारा विभिन्न वसुलीकर्त्ता से प्राप्त राशि का रोकड़पाल रोकड़बही/नगर पंचायत निधि में जमा न किया जाना (रु 1.79 लाख)- पुनः यह पाया गया कि रोकड़पाल द्वारा विभिन्न वसुलीकर्त्ताओं से प्राप्त कुल रु 1,79,126.88 न तो रोकड़पाल रोकड़बही मे दर्ज किया गया न ही नगर पंचायत निधि में जमा किया गया तथा संपूर्ण राशि को अपने पास रखे रहा जो कि वित्तीय अनियमितता एवं गबन का मामला है।

विस्तृत विवरण परिशिष्ट- II(C)

उच्चधिकारी का ध्यान रोकड़पाल द्वारा की गई अनियमितता कुल राशि रु 4.54 लाख का नगर पंचायत निधि में जमा न किए जाने की ओर आकर्षित किया गया।

उपरोक्त राशि में से रु 180565 मात्र रोकड़पाल द्वारा अंकेक्षण आपत्ति के उपरान्त स्टेट बैक ऑफ इण्डिया, बड़हिया शाखा के खाता सं0- 011535712033 में अंकेक्षण के दौरान जमा किया गया तथा शेष रु 2,51,419 अभी भी रोकड़पाल द्वारा अपने पास रखे हुए है। विवरणी निम्नवत् हैः-

क0सं0	दिनांक	राशि
1	07.06.2013	57,000
2	08.06.2013	1,20,000
3	08.06.2013	3,565
	कुल	1,80,565

रोकड़पाल के हाथ में रखी शेष राशि रु 273108(रु 453673— 180565) की वसुली हेतु अविलंब ठोस कार्रवाई की जाए तथा राशि की वसुली कर स्थानीय लेखापरीक्षा बिहार, पटना को फलाफल से अवगत करायी जाए।

पुनः उच्चाधिकारी का ध्यान रोकड़पाल द्वारा की गई अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करते हुये यह सलाह दी जाती है कि वसुलीकर्त्ता द्वारा वसुली गई राशि को ससमय नियमानुसार एक मुश्त राशि सीधे बैंक में जमा की जाए तथा चालान/जमापर्ची की प्रति को कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। साथ ही कार्यालय द्वारा वसुलीकर्त्ता के वसुली लेखा की जॉच समय- समय पर यह सुनिश्चित की जाए कि सभी राशि नगर पंचायत निधि में जमा की गई है।

9. नहीं जमा

विभिन्न कर संग्राहकों/कर्मचारियों द्वारा रु 57428.84 की राशि संग्रह किया गया परन्तु उक्त राशि को नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया था। विवरण निन्नवत हैः-

एच रसीद

क0सं0	रसीद सं0/तिथि	राशि	अवधि	कर सग्रांहक का नाम
1	4833से 4900/ 10.06.12 से 02.04. 13	14,083.77	2 माह से एक साल	विपिन कुमार
2	2751 से 2774/ 01.06.10 से 24.06. 10	6,628.07	3 साल	मृत्युंजय कुमार
3	2775 से 2784 24. 06.10	1,383.00	3साल	तदैव
4	5396 से 5400, 5601 से 5648/31. 03.12 से 29.04.13	22,974.00	40 दिन से 14 महिना	तदैव
	कुल	45,068.84		

(10

विविध रसीद

क0सं0	विविध रसीद सं0/तिथि	राशि	अवधि	कर संग्राहक का नाम
1	1601 से 1700/16.04.12 से 08.05.12	4980	एक साल से अधिक	ब्रजदेव प्रसाद सिन्हा,प्रधान सहायक
2	850 से 856/06.04.10 से 10.02.11	7380	ढाई साल से तीन साल	श्री मृत्युजय कुमार, कर सहायक
कुल		12,360		

कुल नहीं जमा -45068.84+12,360=57,428.84

यद्यपि अंकेक्षण के सुझाव पर उपरोक्त राशि अंकेक्षण के दौरान जमा कर दिया गया। विवरण निम्न हैः-

क0सं0	तिथि	राशि
1	06.06.13	5000.00
2	07.06.13	14084.00
3	08.06.13	7380.00
4	08.06.13	30990.00
	कुल	57454.00

पुनः बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 के नियम 21,22 आदि के अनुसार वसूलकर्त्ता/रोकड़पाल द्वारा नगर पंचायत निधि अंतर्गत प्राप्त सभी राशि को एकमुश्त अविलंब बिना हाथ में रखे हुए निधि में जमा कर देना चाहिए परन्तु नगर पंचायत के विभिन्न कर संग्राहको/कर्मचारियों द्वारा 2 माह से 3 साल के अवधि तक राशि नहीं जमा किया गया था।

संबंधित बैंक खाता/रोकड़बही में जमा की प्रविष्टि अगले लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार जमा सुनिश्चित की जाय।

10. टैक्सी स्टैण्ड वसूली की राशि जमा नहीं

विपिन कुमार सिंह,कर संग्राहक द्वारा टैक्सी बस स्टैण्ड (विभागीय वसूली) दैनिक संग्रह पंजी अंकेक्षण जॉच के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखापाल रोकड़बही के अवलोकन के कम में पाया गया कि श्री विपिन कुमार सिंह, कर सग्रांहक द्वारा टैक्सी बस स्टैन्ड विभागीय वसूली मद में दि0 01.04.13 से 06.05.13 की अवधि प्रतिदिन रु 973.00 की दर से रु 35028.00=36X 973 वसूली गई राशि को नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि वसूली गई राशि रोकड़पाल के जिम्में जमा करा दी गई है। परन्तु जमा से संबंधित कोई भी साक्ष्य (बैंक चालान/नाजीर रसीद) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः राशि को संबंधित शीर्ष में जमा सुनिश्चित कर इसकी प्रविष्टि संबंधित बैंक खाता/रोकड़ बही में दर्ज कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत की जाय।

11. जाली विविध रसीद बुक सं 901-1000 एवं 1001-1100

श्री विपिन कुमार, कर संग्राहक द्वारा प्राकृत दो विविध रसीद बुक सं:-900-1000 एवं 1001-1100 भंडार द्वारा निर्गत अन्य रसीद बुक से काफी भिन्न पाया गया। विदित है कि दि0 10.01.2006 को भंडार में 50 बुक प्राप्त हुआ था तथा उसी भंडार अवशेष से

श्री विपिन कुमार को विविध रसीद सं0 911–1000 एवं 1001–1100 दि0 06.12.2010 एवं 10.04.2012 को निर्गत किया गया था।

श्री कुमार द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विविध रसीद बुक में निम्नलिखित भिन्नता पाई गई–

(i) श्री कुमार द्वारा प्रस्तुत विविध रसीद में रसीद में बॉया तरफ नीचे रुपया का प्रतीक ₹ पाया गया जबकि रूपया का प्रतीक ₹ वर्ष 2010–11 में प्रचलन में लाया गया था तथा भंडार में उपलब्ध अन्य रसीद में रुपया का प्रतीक "Rs." था।

(ii) भंडार में उपलब्ध रसीद बुक तथा श्री कुमार द्वारा प्रस्तुत रसीद बुक के छपाई में भी भिन्नता पाई गई। श्री कुमार द्वारा प्रस्तुत रसीद को लिखावट का आकार भंडार में उपलब्ध रसीद की तुलना में बड़ा था।

(iii) बहृपत्रक (outerfoil) एवं प्रतिपत्रक (counterfoil) को जोड़ने वाले स्थान पर के डिजायन में भी भिन्नता पायी गयी।

उपरोक्त अन्तर के अलावा, भंडारपंजी के अनुसार विविध रसीद सं0 901से 1000 श्री दिनेश चन्द्र राय को दि0 08.12.09 को निर्गत किया गया था। पुनः उसी बुक को रसीद में 911–1000 श्री विपिन कुमार को दि0 06.12.10 को निर्गत किया गया, परन्तु श्री कुमार द्वारा जो बुक (रसीद सं0 901 से 1000) प्रस्तुत किया गया वह पुरी तरह अव्यवहृत (blank) था।

अतः उपरोक्त पाई गई असमानता/कमी से स्पष्ट है कि श्री विपिन कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया दो रसीद बुक (901–1000 एवं 1001–1100) नगर पंचायत के भंडार द्वारा निर्गत रसीद कदापि नहीं है तथा जाली है। विविध रसीद सं0 911–1000 एवं 1001–1100 द्वारा श्री कुमार द्वारा नगर पंचायत मद में वास्तव में क्या वसूली की गई, इसकी सत्यता की जॉच लेखापरीक्षा में किया नहीं जा सका।

मामले की गंभीरता से कार्यपालक पदाधिकारी को अवगत कराये जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि इसकी जॉच की जाएगी।

नगर पंचायत द्वारा निर्गत रसीद बुक से की गई वसुली की सत्यता की जॉच हेतु उच्चाधिकारी द्वारा अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाई की जाय, साथ ही साथ दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई/वसूली गई राशि का जमा सुनिश्चित कर इस कार्यालय को अवगत करायी जाए।

12. नगद वसूली राशि से व्यय–

रोकड़पाल रोकड़बही/लेखापाल रोकड़बही में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार दि0 07.09.2010 को श्री संजय साव, वार्ड न0 24 की हत्या के कारण दि0 08.09.2010 को सड़क जाम मे जिलाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं कार्यपालक पदा0 के आदेशानुसार संजय साव के घर पर 11500 रु नगद दिया गया, जिसमें श्री दिनेश मंडल द्वारा वसूली की राशि से रु 4000 तथा श्री ब्रजदेव प्रसाद सिन्हा द्वारा वसूली की राशि से रु 7500 दिया गया।

(98

लेखापरीक्षा टिप्पणी

किस प्रावधान के अन्तर्गत नगर पंचायत निधि से रु 11,500 प्रदान किया गया अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। साथ ही साथ जिला पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा यदि आदेश दिया गया था, तो आदेश की प्रति भी अंकेक्षण में नहीं प्रस्तुत किया गया। जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि जॉचोपरान्त कार्यवाई की जाएगी। जवाब संतोषप्रद एवं तर्कसंगत नहीं है।

अतः उक्त राशि की वसूली संबंधित/जिम्मेवार व्यक्यिों से कर नगर पंचायत निधि मे जमा किया जाय।

13. बैक ड्राफ्ट एवं BOQ की राशि जमा नहीं किया जाना–

रोकड़पाल द्वारा प्राप्त विभिन्न बैक ड्राफ्ट संबंधित पंचायत निधि में जमा नही किया गया जिसकी विवरणी निम्नवत् है–

(क) विविध रसीद से प्राप्त

क0सं0	विविध रसीद सं0	वसुली तिथि	ड्राफ्ट द्वारा वसुली गई राशि (जमा नहीं)
1	1301 से 1387 (1319 रद्द)	12.07.11 से 14.07.11	17,250
2	1390 से 1391	07.07.11	1,000
3	1407से 1408	13.03.12	2,750
4	1411	13.03.12	10,000
कुल राशि			31,000

(ख) B.O.Q. की राशि Draft द्वारा प्राप्त–

क0सं0	ड्राफ्ट की तिथि	ड्राफ्ट की सं0	ड्राफ्ट की राशि	कुल राशि	बैंक का नाम
1.	19.03.13	28	750	21,000	S.B.I.Barahiya
2.	18.03.13	33	750	24,750	Do
3.	20.03.13	04	750	3,000	Do
कुल राशि				48,750	

कुल राशि (क)+ (ख)=79,750

उपर्युक्त राशि संबंधित नगर पंचायत निधि में जमा नही किये जाने के कारण नगर पंचायत को सुद के रुप में राजस्व का नुकसान हो रहा है। अतः उक्त राशि को अविलंब संबंधित निधि में/ बैंक में जमा कर फलाफल से स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को अवगत करायें।

जवाब में बताया गया कि बैंक ड्राफ्ट को बैंक में जमा कर अंकेक्षण दल को सुचित किया जाएगा।

14. श्रम सेस की कटौती नहीं–

सरकार के निर्देशानुसार (प्रधान सचिव,श्रम संसाधन विभाग के अर्द्धसरकारी पत्र सं0 BCWC-01/2008) ली गयी योजनाओं में निर्माण कार्य पर कुल व्यय का 1% श्रम सेस के रुप में काटकर राशि को संयुक्त श्रमायुक्त सह सचिव, बिहार एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग विकास भवन,पटना को क्रास्ड डिमांड ड्राफ्ट जो S.B.I, बेली रोड,पटना में देय हो, जमा करना था। इस राशि का उपयोग श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में किया जाता है।

परन्तु नगर पंचायत द्वारा कार्यावित लोक निर्माण योजनाओं पर1% की दर से रु 187187.00 की कटौती/जमा नहीं की गयी। विवरणी निम्नवत् हैः-

क्र0सं0	वर्ष	मद	योजनाओं की सं0	व्यय(रु)
1.	2008-09 से 2009-10	बी.आर.जी.एफ	41	9963888.00
2.	2009-10 (अवशेष भाग)	तथैव	09	696524.00
3.	2010-11	तथैव	22	6022271.00
4.	2010-11 समेकित	मुख्यमंत्री शहरी वि0 योजना	02	606788.00
5.	2012-13	13वीं	24	1429232.00
			98	18718703.00

श्रम सेस के रुप में 187187.00 रु जमा सम्बन्धित सरकारी शीर्ष में सुनिश्चित किया जाए।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि अनुपालन की जाएगी।

15. बजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 82 से 84 के प्रावधानानुसार शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट प्राक्कलन तैयार करेगा तथा इसे सशक्त स्थायी समिति/बोर्ड से अनुमोदन के पश्चात् 15 मार्च तक सरकार को भेजी जानी है।

नगर पंचायत बड़हिया द्वारा वर्ष 2010-11 से 2012-13 की बजट प्राक्कलन संचिका उपलब्ध नहीं कराया गया। बजट के अनुपलब्धता के कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि बजट ससमय तैयार/पारित किया गया या नहीं तथा लेखापरीक्षा अवधि में किया गया व्यय बजट अंतर्गत था।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि बजट की तैयारी की जा रही है, बोर्ड की अगली बैठक में पारित करा ली जाएगी। जवाब तर्कसंगत नही था।

16. सरकारी अनुदान (2010-11 से 2012-13)

अनुदान पंजी का संधारण नहीं किए जाने के कारण लेखा परीक्षा वर्ष के प्रारंभ में अव्यवहृत अनुदान की राशि, वर्ष के दौरान प्राप्त एवं व्यय की गयी राशि एवं वर्ष के अन्त में (31.03.2013) अव्यवहृत अनुदान की राशि ज्ञात नहीं किया जा सका।

अनुदान पंजी के संधारण नहीं होने के कारण किन्हीं भी अनुदान राशि के विचलन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही, विशेष उद्देश्य हेतु प्राप्त अनुदान राशि के बाधित रहने की भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराए गए रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2012-13 में नगर पंचायत बड़हिया को कुल रु 48409838.00 का सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ।

(विवरणी परिशिष्ट III पर उपलब्ध)

(96

अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

17. 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा से प्राप्त अनुदान

दिनांक 12.03.2012 से 13वीं वित्त आयोग हेतु संधारित सहायक रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 13.03.2012 से 31.03.2013 तक की प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति निम्न थी–

	12.03.12 से 31.03.12	2012–13
प्रा0 शेष	शून्य	1889000.00
प्राप्ति	1889000.00	3856000.00
कुल	1889000.00	5745000.00
व्यय	0	3304401.40
शेष	1889000.00	2440598.60

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(i) वर्ष 2010–11 में अनुदान की प्राप्ति नहीं–

लेखापाल रोकड़बही के अनुसार वर्ष 2010–11 में तेरहवें वित्त आयोग अंतर्गत कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

वर्ष 2010–11 में अनुदान प्राप्ति होने की कारणो संपुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की गयी। जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि कारणों की जॉच कराई जाएगी।

(ii) वर्ष 2011–12 में प्राप्त अनुदान राशि रु0 15,04,193.00 (दि0 01.07.11) को लेखापाल रोकड़बही में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार उपरोक्त राशि की प्रविष्टि सहायक रोकड़ बही में नहीं पाया गया क्योकि सहायक रोकड़बही का दिनांक 12.03.12 को दर्शाया गया प्रारंभिक शेष शून्य था।

जवाब में बताया गया कि कारणों की जॉच करायी जाएगी।

(iii) अवशेष राशि का अत्यधिक विलंब से जमा किया जाना–

सरकार के पत्रांक 01/न0वि0 एवं आ0वि0 दिनांक 04.04.12 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के General Performance Grant मद में प्रथम किस्त के रुप में रु 12.33 लाख आवंटित किया गया था, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दिनांक 04.06.2012 को प्रधान सहायक के नाम मार्क किया गया था, परन्तु इसे कोषागार में जमा करने हेतु दिनांक 16.03.2013 को विपत्र बनाया गया था, जिसकी प्रविष्टि लेखापाल रोकड़बही में दिनांक 09.03.2013 को दर्ज किया गया था।

स्पष्ट है कि आवंटन तिथि (04.04.2012) के द्वारा प्राप्त अनुदान की राशि को अत्याधिक विलंब से कोषागार में जमा किया गया। विदित है कि 13वें वित्त अंतर्गत प्राप्त अनुदान को राज्य सरकार को अविलंब नगर निकाय के पी0एल0 खाता में हस्तानांतरण करना है अन्यथा राज्य सरकार को सुद देय होगा।

परन्तु, विशेष उद्देश्य हेतु प्राप्त अनुदान की राशि को नगर पंचायत द्वारा प्राप्त आवंटन को ससमय जमा नहीं किया गया जो कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है। किन कारण से

प्राप्त आवंटन को अत्याधिक विलंब से कोषागार में जमा किया गया अंकेक्षण में स्पष्ट नही किया गया।

आवंटन का विलंब से कोषागार में जमा किये जाने के कारण योजना के कार्यान्वयन पर इसका प्रभाव संभव हुआ अतः इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति से स्पष्टीकरण मॉगी जाय तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

18. अप्रस्तुत 'H' receipt एवं विविध रसीद

नगर पंचायत से बार- बार अनुरोध के पश्चात् भी कुछ 'H' receipt एवं विविध रसीद उपलब्ध नहीं कराया गया जिसकी विवरणी निम्न हैः-

क0सं0	रसीद सं0/निर्गत तिथि	'H'receipt/MR.receipt	कर संग्राहक
1.	2701to 2800/ 17.04.10	'H' receipt	मृत्युजय कुमार
2.	4001to 4100/ 19.07.11	Do	विपिन कुमार
3.	5601 to5700 / 05.04.13	Do	मृत्युजय कुमार
4.	5701 to 5800/ 09.04.13	Do	विपिन कुमार
5.	5801 to 5900	Do	नंद किशोर कुमार
6.	911 to 1000/10.04.12 & 1101 to 1200/ 14.02.11	M.R. receipt	नंद किशोर
7.	1701 to 1800/ 08.05.12	Do	ब्रजदेव प्रसाद सिन्हा
8.	1801 to 1900/ 16.05.12	Do	मृत्युजय कुमार
9.	1901 to 2000/ 07.03.13	Do	नंद किशोर
10.	4801 to 4900/ in use from previous audit	Do	बमबम
11.	4901 to 5000/ in use from previous audit	Do	नंद किशोर

उपर्युक्त 'H' receipt एवं विविध रसीद पर कितनी राशि वसुली एवं जमा हुई सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

अतः अगले अंकेक्षण में उपर्युक्त सभी रसीदों को उपलब्ध कराया जाए।

19. रद्द की गई विविध रसीद

नगर पंचायत, बड़हिया के विविध रसीदों के जॉच में पाया गया कि निम्नलिखित रद्द विविध रसीदों कि दोनों प्रतियॉ हस्ताक्षरित एवं मुहर लगाया हुआ मौजूद था।

क0सं0	विविध रसीद सं0	वसूली तिथि	वसूली गई राशि	अभ्युक्ति
1.	1439 से 1440	12.07.12 से 19.07.12	1000	
2.	1449 से 1450	21.09.12	1000	
3.	1398 से 1399	26.07.12	1000	
4.	1400	07.02.12	500	
कुल राशि			3500	

उपरोक्त सभी रद्द रसीद बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के रद्द किया गया था।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि रद्द कि गई रसीद की जॉच कर अंकेक्षण दल को अवगत कराया जाएगा। यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो संबंधित व्यक्ति से राशि वसुली हेतु कार्यवाई की जाएगी। जॉचोपरांत फलाफल से इस कार्यालय को अवगत कराई जाय।

20. योजनाओं की स्थिति

नगर पंचायत द्वारा योजना पंजी का संधारण नहीं किया गया था। यद्यपि नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत योजना विवरणी के अनुसार विभिन्न मदों में योजनाओं की स्थिति निम्नवत् थी।

क0सं0	वर्ष	मद	ली गयी योजनाओं की सं0	पूर्ण	अपूर्ण
1.	2008–09 से 2009–10	B.R.G.F	41	41	0
2.	2009–10 (अवशेष भाग)	B.R.G.F	09	09	0
3.	2010–11	B.R.G.F	22	21	1
4.	2010–11	मुख्यमंत्री शहरी समेकित वि0यो0	02	02	0
5.	2012–13	13वी वित्त	24	24	0
कुल सं0			98	97	01

B.R.G.F मद की 2010–11 (क्रम सं0–8) की एक योजना (वार्ड न0–09 में दिनेश मांझी के घर से इमली पेड़ होते हुए विजय सिंह के घर तक मिट्टी भराई, P.C.C. एवं नाला निर्माण) जिसके लिए अभिकर्त्ता से एकरारनामा 01.08.2012 को कराया गया तथा 2 माह में कार्य सुनिश्चित करना था। परन्तु उक्त योजना पर रु 318573 के प्राक्कलन के विरुद्ध मात्र रु 96675.00 (12.09.2012 तक) का ही कार्य कराया जा सका। योजना को पूर्ण कराने हेतु शीघ्र कारवाई किया जाय। योजना पूर्ण होने तक व्यय की गयी राशि रु 96675.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

21. अग्रिम का समायोजन नहीं

नगर पंचायत, बड़हिया द्वारा संधारित अग्रिम पंजी के अनुसार, निम्नलिखित कर्मचारियों को कुल रु 31000.00 का अग्रिम दिया गया था, जिसका समायोजन अबतक नहीं किया गया है–

क0सं0	अग्रिम पाने वाले का नाम	राशि	तिथि	अभियुक्ति
1.	श्रीमती माया देवी	3000	27.10.11	
2.	श्रीमती श्री बत्ती देवी	3000	तथैव	
3.	श्री नरेश मल्लिक	3000	तथैव	
4.	श्री योगन मल्लिक	3000	तथैव	
5.	श्री दिलीप रजक (बड़ा)	3000	तथैव	
6.	श्री मान राउत	3000	तथैव	
7.	श्री दिलीप रजक(छोटा)	3000	तथैव	
8.	श्री अशोक मल्लिक	3000	तथैव	
9.	श्री प्रमोद रजक	3000	तथैव	
10.	श्री अशोक दास	4000	22.11.11	कुल अग्रिम की राशि रु 25000 जिसमें रु 21000 का समायोजन हो चुका है।
	कुल राशि	31000		

उपरोक्त अग्रिम राशि 31000 की वसूली/समायोजन उपर्युक्त कर्मचारियों से किया जाना था। इस संबंध में नगर पंचायत ने जवाब दिया कि अग्रिम के समायोजन की कार्रवाई कर ली जाएगी।

अतः उपरोक्त अग्रिम राशि का वसूली/ समायोजन अविलम्ब कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

22. भंडार पंजी का अनियमित संधारण

(i) विविध रसीद भंडार पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया गया। भंडार पंजी में निर्गत विविध रसीद के सबंध में विविध रसीद किनको निर्गत किया गया उसका नाम नही लिखा हुआ था, न ही निर्गत करनेवाला अधिकारी का हस्ताक्षर पाया गया। विविध रसीद प्राप्त करनेवाला व्यक्ति का मात्र initial किया गया था।

पूर्व में निर्गत विविध रसीद से पाप्त वसूली गई राशि को जमा किए बिना पुनः विविध रसीद निर्गत किया जाता था जो नियमानुसार नहीं था।

विविध रसीद बिना कार्यपालक के आदेश से ही निर्गत किया जाता है।

(ii) भंडार पंजी के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि विविध रसीद संख्या 2101 से 2200 भंडार पंजी में नहीं पाया गया।

विवरण भंडार पंजी (पृष्ठ– 9) के अनुसार दिनांक को कुल 50 बुक दर्शाया गया था जिसमें से दिनांक 09.04.13 तक 21 बुक निर्गत किया गया, परन्तु भौतिक सत्पायन में भंडार में 29 बुक के बजाय मात्र 28 बुक ही पाया गया। विविध रसीद सं0 2201 से 2200 अनुपलब्ध था।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि भंडार में नहीं पाये गए रसीद को रद्द घोषित करने हेतु कारवाई की जाएगी। नगर पंचायत द्वारा दिया गया जबाव संतोषप्रद नहीं है।

23. लेखापरीक्षा परिणाम

क्र0सं0	संदर्भ	राशि (रु)
1.	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गयी राशि	238019.00
2.	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	506823.00
3.	अंकेक्षण आपत्ति के अधिन रखी गयी राशि	96675.00

(परिशिष्ट– IV)

24. कार्यपालक से वार्तालाप

अंकेक्षण दल द्वारा उठायी गयी आपत्तियों पर बिन्दुवार विचार–विमर्श, कार्यपालक पदाधिकारी के साथ दिनांक 08.06.2013 को की गई।

25. सामान्य अभ्युक्ति

नगर पंचायत के लेखाओं के संधारण में काफी सुधार की आवश्कता है। संग्रह लेखाओं पर सतत् पर्यवेक्षण की आवश्कता है इसे सुधारने हेतु नगरपालिका अधिनियम के अनुसार करों की वसुली हेतु प्रभावी करने की आवश्यकता है। योजना पंजी का संधारण विहित प्रपत्र में अवश्य किया जाय।

कार्यपालक द्वारा लेखाओं एवं वसूली के जमा की सतत् जॉच नहीं किये जाने के कारण रोकड़पाल द्वारा वसूली की राशि नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किये जाने की घटना घटी। अतः वसूली लेखा की नियमित जॉची की जाय।

–हस्ता0–

(विमलेश आर.एस.पी. भारती)

स.ले.प.अ.
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
–––सह––––
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

सं0–एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/ दिनांक :

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बड़हिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का अनुपालन अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन महीनों के अंदर नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति को समीक्षोपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

''यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।''

-sd-
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श.स्था.नि. स.प्र.–।
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार,पटना

सं0–एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/14433/1870 दिनांक : 05.09.14

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

(i) सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना

(ii) जिलाधिकारी, लखीसराय

05/9/14
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श.स्था.नि. स.प्र.–।
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार,पटना

परिशिष्ट 1 A

अंकेक्षण में उपस्थापित अभिलेखों पंजीयों की सूची

(कंडिका – 3 से संदर्भित)

1. योजना नाम रोकड़बही
2. बैंक पासबुक
3. योजनावार रोकड़बही
4. खर्च फार्म रसीद
5. दैनिक संग्रह पंजी
6. विविध रसीद
7. विधायक क्षेत्र अनुदान निधि रोकड़बही
8. BRGF बैंक पासबुक / स्टेटमेंट
9. योजना संचिका अभिलेख
10. स्टॉक पंजी
11. बाजार ..., टैक्सी स्टैंड तथा ... इत्यादि विभागीय संग्रहण पंजी एवं रसीद
12. अभिश्रव
13. रसीद स्टॉक पंजी
14. भंडार पंजी

Vimlesh
AA

परिशिष्ट 1(ख)

अभिलेखों की सूची जो संधारित नहीं था या अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

1. अनुदान पंजी
2. अग्रिम पंजी
3. बजट
4. मांग एवं वसूली पंजी गृह कर आदि
5. कुत्सित एवं भयानक व्यापार लेखा
6. सम्पूर्ण मांग का प्रगति प्रतिवेदन
8. होर्डिंग संचिका एवं पंजी
9. ~~क~~साईखाना लेखा
10. डिस्पैच रजिस्टर
12. बकाया गृह कर इत्यादि सूची
13. सेवा पुस्तिका एवं वैयक्तिक संचिका
14. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना संचिका
15. NSDP संचिका.
16. सम्पदा पंजी
17. पेंशन निधि संचिका एवं पासबुक
18. वाहन लेखा
19. सम्पत्ति पंजी
20. निवेश पंजी।
21. Mutation file.
22. स्वीकृत नक्शा सूची एवं पंजी
23. नये भवनों का मूल्यांकन पंजी/संचिका
24. सरकारी भवनों के किराए बकाया
25. उपयोगिता प्रमाणपत्र

Vimlesh
APO.

188

पी०भाग III
कंडिका 16
सरकारी अनुदान

क्र०	प्राप्ति/आवंटन तिथि	पत्रांक/तिथि	राशि (रु)	मद
	10-11			
1	29.4.10.	पत्रांक 97/17.4.10.	1,44,000.	कबीर अंत्येष्टि
2.	"	129/26.3.10.	2,00,000.	मुख्य मंत्री कन्या विवाह
3.	29.6.10.	129/26.3.10.	2,00,000	"
4.	~~12.10.10.~~ 3.12.10.	प. 6243/...	1,40,000	राजीव गाँधी युवा क्लब का मानदेय.
	11-12			
1.	1.7.11. July	चेक सं०-737498 27.4.11.	15,00,000	13वाँ वित्त
2.	"	चेक सं०-737683 28.4.11.	4,193	"
3.	"	चेक. 855963 6.4.13	4,00,000	मुख्य मंत्री विवाह योजना.
4.	8.2.12.	चेक सं० 186154/19.1.12	2,02,300.	मुख्य मंत्री समेकित शहरी विकास योजना.
5.	5.3.12.	पत्रांक 44/25.1.12.	85200.	नियत भत्ता.
6.	"	36/25.1.12	85200.	,, दफ्तरी
			2960893/-	

प्रधान सहायक

कार्यपालक